## मानव संसाधन विभाग केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

स्टाफ परिपत्र क्र.:6814

दिनांक: 09.01.2018

प्रति: सभी शाखाएं / कार्यालय

## कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं सुधार

सभी का ध्यान स्टाफ परिपत्र क्र. 6412 दिनांक 27.07.2016 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं सुधार से संबन्धित शिकायतों के निवारण के लिए केंद्रीय कार्यालय में उच्च स्तरीय समिति के गठन के बारे में सूचित किया गया था.

श्रीमती सविता शर्मा, मुख्य प्रबंधक (राभा) सदस्य सचिव एवं कैप्टन आर. के. कुशवाहा, मुख्य प्रबंधक, सदस्य के स्थानांतरण के पश्चात, समिति का पुनर्गठन कर निम्न सदस्यों को शामिल किया जा रहा है:

नाम एवं पदनाम	तैनाती	समिति में पद
श्रीमती मोनिका कालिया	क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय,	अध्यक्ष
क्षेत्र महा प्रबंधक	अहमदाबाद	(पीठासीन अधिकारी)
श्रीमती सुलभा कोरे	राजभाषा कार्यान्वयन विभाग,	सदस्य सचिव
मुख्य प्रबंधक (राभा)/	केंद्रीय कार्यालय	
संपादक, यूनियन धारा		
श्रीमती पद्मा नीलकंटन	मानव संसाधन विभाग, केंद्रीय	सदस्य
सहायक महाप्रबंधक (मासं)	कार्यालय	
श्री के सी चौधरी	विधि विभाग, केंद्रीय कार्यालय	सदस्य
डॉ. वर्षा एस. प्रभु		सामाजिक कार्यकर्ता/बाहरी
		सदस्य

सुश्री श्रुति सिंह, प्रबंधक, कौशल प्रबंधन प्रभाग, मानव संसाधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय भारत भर में कहीं भी और किसी भी हैसियत से पदस्थ वेतनमान-6 व वेतनमान-7 के अधिकारियों व केंद्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के सभी प्रशासनिक कार्यालयों व केंद्रीय कार्यालय में पदस्थ सभी स्केल व कैडर के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने व शीर्ष स्तरीय समिति की बैठक बुलाने के लिए नोडल अधिकारी के रूपद पर निरंतर बनी रहेंगी.

यौन उत्पीइन से संबंधित मामले, यदि कोई हो, नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जाना चाहिए. सिमिति सम्पूर्ण शिकायतों की जांच करेगा तथा उपर्युक्त अधिनियम एवं नीति के प्रावधानों और स्टाफ परिपत्र क्र. 6138 दिनांक 14.11.2014 द्वारा परिचालित बैंक में महिला कर्मचारियों का कार्यस्थल पर यौन उत्पीइन के रोक, निषेध एवं यौन उत्पीइन के निवारण के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का परामर्श देगा/कार्रवाई करेगा. शिकायतकर्ता को भी इसकी जानकारी दी जाएगी.

शाखा प्रबंधकों/विभाग प्रमुखों द्वारा अपने अधिकार-क्षेत्र में इस परिपत्र की विषय वस्तु को सभी कर्मचारियों के ध्यानार्थ लाने एवं इस परिपत्र की प्रति को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें.

महा प्रबंधक (मास)

Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Mumbai- 400 021

Staff Circular No. 6814

19<sup>th</sup> June, 2018

To: All Branches/Offices

Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women Employees at Workplace

Attention is drawn to Staff Circular No. 6412 dated 27.07.2016 informing about constitution of Apex Level Committee at Central Office for redressal of complaints in respect of Sexual Harassment of Women Employees at Workplace.

Consequent upon transfer of Smt.Savita Sharma, Chief Manager (OL), Member Secretary and Capt.R.K.Kushwaha, Chief Manager, Member, the Committee has since been reconstituted and will now comprise of following members:

Name & Designation	Posting	Position in the Committee
Smt. Monica Kalia Field General Manager	Field General Manager's Office, Ahmedabad	Chairperson (Presiding Officer)
Smt.Sulabha S Kore Chief Manager (OL)/ Editor Union Dhara	Official Language Dept., Central Office	Member Secretary
Smt. Padma Neelakantan Asst. General Manager (HR)	Human Resources Department, C.O.	Member
Shri K.C. Choudhury, Asst. General Manager (Law)	Law Department, C.O.	Member
Dr. Varsha S. Prabhu	-	Social Worker/External Member

Ms. Shruti Singh, Manager, Talent Management Division, Human Resources Dept., Central Office will continue to be the Nodal Officer for receiving complaints against any Officer Employee in TEGS-VI and VII posted anywhere in India in any capacity and other employees, irrespective of scale and cadre posted at Central Office and administrative Offices under the jurisdiction of Central Office and for convening the meeting of the Committee at Apex level.

Complaints in respect of sexual harassment, if any, should be forwarded to the Nodal Officer. The Committee will examine the complaint made in its entirety and action as deemed fit will be advised / taken as per the provisions of aforesaid Act & provisions of Policy on Prevention, Prohibition of Sexual Harassment of Women Employees at Workplace and Redressal of Sexual Harassment" of the Bank as circulated vide Staff Circular No.6138 dated 14.11.2014. The Complainant will also be informed of the same.

Branch Managers / Departmental Heads are required to bring the contents of this circular to the notice of all employees working under their jurisdiction and also display a copy of the Circular on the Notice Board.

Ms/ch/sc/shc